नईदुनिया



संपादकीय

# क्या बदल रहे हैं राजनीतिक समीकरण

*महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के लिए हुए चुनावों के साथ तेरह राज्यों की छियालीस सीटों पर उपचुनावों के नतीजे यही बताते हैं कि सभी जगहों पर कोई एक ही हवा नहीं बह रही थी और अलग-अलग राजनीतिक दलों को कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर सबकी नजर थी, जहां के नतीजों को राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालने वाले एक प्रमुख कारक के तौर पर देखा जा रहा है। एक ओर, महाराष्ट्र में जहां सत्ता में रही महायुति गठबंधन को अप्रत्याशित कामयाबी मिली, वहीं झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले सत्ताधारी इंडिया गठबंधन को अच्छी जीत मिली। इससे यही साफ होता है कि दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान कई जगहों पर मतदान पर सत्ता-विरोधी लहर का असर पड़ने की जो आशंका जाहिर की जा रही थी, वह निराधार निकली। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन और खासतौर पर भाजपा को जैसी सफलता मिली है, उसकी उम्मीद शायद राजग के नेताओं को भी नहीं रही होगी।*

*दरअसल, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन इस बात को लेकर आश्वस्त था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने जिस तरह मूल पार्टी को तोड़ कर भाजपा के साथ सरकार बनाई थी और उसके बाद राज्य में उसका जो प्रदर्शन रहा, उसके मद्देनजर मतदाता अलग विकल्प चुनेंगे। मगर चुनाव के दौरान महायुति गठबंधन से जुड़े दल और खासतौर पर भाजपा की ओर से जिस तरह का आक्रामक प्रचार अभियान चलाया गया, उसने आम जनता को शायद ज्यादा प्रभावित किया। हालांकि 'इंडिया' के कुछ नेताओं की ओर से मतदान और गिनती से संबंधित सवाल उठाए गए, लेकिन इस पर स्पष्टता कायम करना चुनाव आयोग का काम है। अब चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में जैसे समीकरण बनते दिख रहे हैं, उसमें महायुति के सामने एक बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव की होगी। वहीं आने वाले दिनों में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने अपनी प्रासंगिकता को फिर से कायम करने की चुनौतियां बढ़ सकती हैं।*

*झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से पूरा प्रयास किया गया कि चुनाव में झामुमो सरकार के खिलाफ सत्ता-विरोधी लहर बनाई जा सके, लेकिन उसमें उसे नाकामी ही मिली। झामुमो और सहयोगी दलों ने पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत जीत दर्ज की है। ऐसा लगता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन को एक मामले में जेल जाने के बावजूद अपने कार्यकाल में शुरू कुछ योजनाओं और अन्य मुद्दों पर वहां के मतदाताओं ने अपना स्पष्ट समर्थन दिया। जाहिर है, हेमंत सोरेन अब ज्यादा सशक्त होकर अपनी अगली सरकार चलाने में खुद को शायद अधिक सहज महसूस करें। जहां तक उपचुनावों का सवाल है तो तेरह अन्य राज्यों में छियालीस सीटों पर मतदान के नतीजे मिले-जुले आए हैं। मसलन, बिहार में चारों सीटों पर राजग के उम्मीदवार जीते, वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का स्पष्ट दबदबा रहा। उत्तर प्रदेश में नौ सीटों के नतीजे मिले-जुले होने के बावजूद वहां के कुंदरकी सीट के परिणाम ने सबको चौंकाया, जहां मुसलिम बहुल क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी को बड़ी जीत मिली। एक अहम नतीजा केरल के वायनाड लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव का रहा, जहां कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने चार लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। ताजा नतीजे यह संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति पर इसका खासा असर पड़ेगा और अन्य दलों से सहयोग के सवाल पर भाजपा अपनी दावेदारी मजबूत बता सकती है।*

# नीतिगत क्रियान्वयन से भारत में सहकारिता आंदोलन को दिया जा रहा बढ़ावा

**शाजी के.वी, अध्यक्ष, नाबार्ड**

साझा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समावेशी विकास रणनीति सहकार से समृद्धि के देश में अब तक काफी कारगर नतीजे सामने आए हैं। स्वतंत्रता से पहले के दौर में अगर हम भारत में सहकारिता आंदोलन की उत्पत्ति को देखें तो पाएंगे कि इसकी शुरुआत किसानों की गरीबी कम करने की चुनौती से हुई थी, जिसका मुख्य कारण बार-बार पड़ने वाला सूखा और साहूकारों की सूदखोरी प्रवृत्ति था। एनएएफआईएस, 2021-22 के अनुसारयह काफी प्रसन्नता का विषय है कि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों के माध्यम से केंद्र सरकार की निरंतर और लक्षित वित्तीय समावेशी पहलों के कारण, ग्रामीण परिवारों की साहूकारों और जमींदारों पर निर्भरता अब घटकर मात्र 4.2 प्रतिशत रह गई है।

भारत में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली प्रारंभिक शक्तियां भले ही अब कमज़ोर पड़ रही हों, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस समय कई नई और जटिल उभरती चुनौतियां हैं, जिनके लिए सहकारी आंदोलन को नई दिशा और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके। यह इसलिए भी जरूरी हैक्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो सपना देखा है, उसी के अनुरूप देश 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।

इन नई चुनौतियों में किसानों की आय बढ़ाने से लेकर एक कुशल ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला हासिल करना,स्थायीआधार पर खाद्य मुद्रास्फीति को कम करना, कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, कृषि उत्पादकता तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले प्रयासों को बढ़ाना और डिजिटल क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाना शामिल है। सहकारी संस्थाएं अपने मजबूत स्थानीय ज्ञान, पूर्व की घटनाओं से अनुभव हासिल कर भविष्य की नई योजनाएं, संपर्क कार्यक्रम बनाने तथा इन्हें मजबूत करने की क्षमता और नए कारोबारी माहौल के अनुरूप ढलने के कारण इन चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो सकती हैं। सहकारी संस्थाओं के लिए मददगार नीतियां बनाने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 'सामाजिक विकास में सहकारी समितियों पर रिपोर्ट' (जुलाई 2023) से जानकारी प्राप्त करना उपयोगी हो सकता है, जो इस बात पर ज़ोर देती है कि सहकारी समितियां बाज़ार संबंधी विफलताओं से निपटने, हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने, रोज़गार के अवसर बढ़ाकरसतत विकास को सहारा देकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

श्री अमित शाह के शानदार नेतृत्व में भारत सरकार में एक नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के परिणामस्वरूप सहकारी समितियों के लिए भारत में हाल की नीतियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उभरती चुनौतियों की व्यापक और जटिल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। इस तरह के कुछ बड़े प्रयासों में कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का गठन, इसे कंप्यूटरीकृत करना, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और पैक्स के लिए खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट/एलपीजी वितरण अधिकार, सहकारी क्षेत्र में गोदामों का व्यापक नेटवर्क, मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन, शामिल नहीं की गई पंचायतों में नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियांऔर पैक्स के लिए मॉडल उप-नियम शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड),सहकारी समितियों के लिए अपने बहुस्तरीय और गतिशील रूप से उत्तरदायी सहयोगात्मक ढांचे के साथ, मंत्रालय के मार्गदर्शन में, सतत प्रक्रिया के रूप में नीति क्रियान्वयन से जुड़े लोगों को सक्षम बनाता है जिसमें (अ) ग्रामीण सहकारी बैंकों को पुनर्वित्तपोषण का प्रावधान, कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और ग्रामीण गैर-कृषि गतिविधियों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण देने के लिए उनके संसाधनों में पूर्ति करना, (ब) सहकारी विकास निधि के माध्यम से विकासात्मक समर्थन और वित्तीय समावेशन निधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, (स) नीति और कार्यान्वयन समर्थन, जैसे पैक्स का कम्प्यूटरीकरण और 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने वाले सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में पैक्स का कार्यान्वयन, और (द) वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षण जैसे प्रयास शामिल हैं।

नाबार्ड सहकारी समितियों को एक-दूसरे के तुलनात्मक लाभों से लाभान्वित करने की सुविधा प्रदान कर इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। इस पहल में वित्तीय पक्ष से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु- सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के मौजूदा बैंक खातों को विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में समेकित करना और उन्हें एक केंद्रीकृत जिला/राज्य सहकारी के तहत रखना होगा, जिससे सहकारी प्रणाली के संसाधन प्रणाली के भीतर ही बने रहेंगे।

भविष्य में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में नीतिगत तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। हाल के वर्षों में टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण दुग्ध क्षेत्र की तर्ज पर इन तीनों वस्तुओं के लिए अधिक से अधिक किसान उत्पादक संगठनों का गठन और एक एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला मदद कर सकती है। आंतरिक तौर पर पूंजी निर्माणया सहकारी समितियों की आय को उनके भीतर ही बनाए रखना इन समितियों के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना बनाने में मददगार साबित हो सकता है। यह उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के बढ़ते महत्व को देखते हुए उपयोगी होगा। उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के पीढ़ी दर पीढी बंटवारे को देखते हुए बागवानी फसलों की बिक्री से होने वाले लाभों के मद्देनजरविशेष रूप से बहु-राज्य सहकारी समितियों को उत्पादकों का एक व्यापक नेटवर्क बनाने की आवश्यकता हो सकती है। यह लागत को कम करने और उनकी मोलभाव करने की क्षमता में सुधार करने में मदद कर सकता है। भूमि स्वामित्व पर किसी भी जोखिम के बिना सहकारी समितियों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि पूलिंग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दे सकती है।

डब्ल्यूटीओ के अनुरूप प्रसंस्कृत उत्पादएक मजबूत कृषि-निर्यात उत्पाद क्षेत्र बनाने में मदद करने, तकनीक अपनाने, अधिक पारदर्शिता के साथ व्यापार करने में आसानी प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माणऔर उद्यमी कारोबारी तंत्र के विभिन्न हिस्सों के रूप में कृषि स्टार्ट-अप के साथ अंतर्संबंधों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी। वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को उत्कृष्टता संबंधी प्रदर्शन से जोड़ा जाना चाहिए, जिसके लिए संसाधनों और उत्कृष्टता परिणामों के अंतिम उपयोग की जानकारी के साथ एक मजबूत डेटा बेस विकसित करने की आवश्यकता होगी। ऋण क्षमता के आकलन के आधार पर कृषि ऋण के लिए वर्तमान आपूर्ति-आधारित दृष्टिकोण को धीरे-धीरे अंतिम उपयोग और परिणामों से संबंद्ध प्रतिबद्धताओं के आधार पर ऋण की प्रभावी मांग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।सहकारी समितियों को नए उभरते नवप्रवर्तकों या नए कारोबारी विचारों की पहचान करने और उन्हें आगे बढ़ाने, वित्तीय और अतिरिक्त सहायताएं देने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता भी हो सकती है। नीतिगत पोषण से प्रेरित एक पुनर्जीवित सहकारी आंदोलन देश में अधिक समावेशी ग्रामीण आर्थिक समृद्धि का अग्रदूत हो सकता है।

# शब्द ब्रह्म हैं, और हरेक भाषा में शब्द हैं

नजरिया

-हृदयनारायण दीक्षित

**शब्द ब्रह्म हैं। शब्दों से निर्मित वाक्यों से पुस्तकें बनती हैं। पुस्तकों को प्रणाम करना हमारी स्वाभाविकता है। यह प्रणाम प्रत्यक्ष रूप में शब्दों के प्रति है। अप्रत्यक्ष रूप में जीवन्त संवाद, रस प्रवाह के प्रति है और शब्द ब्रह्म के प्रति भी है। मेरा मन तार्किक है। संशयी भी है। पुस्तकें संशय और तर्क को और स्वस्थ करती हैं, बहुधा तर्क के परे भी ले जाती हैं।**

शब्द सामाजिक संपदा हैं। हरेक भाषा में शब्द हैं। प्राचीन काल में शब्द बोले जाते थे। सुने जाते थे। तब लिपि की खोज नहीं हुई थी। बोले और सुने गए शब्द विशेष प्रकार की ध्वनि थे। शब्द किसी न किसी रूप के प्रतिनिधि होते हैं। शब्द शक्तिशाली होते हैं। प्रत्येक शब्द अर्थ धारण करता है। अर्थ की अभिव्यक्ति भी शब्दों से होती है। मनुष्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रयुक्त न होने वाले शब्द चलन से बाहर भी हो सकते हैं। ज्यादा प्रयुक्त होने वाले शब्द लम्बी यात्रा करते हैं। देश काल के प्रभाव में अर्थ भी बदल सकते हैं। कविता और अन्य सृजन शब्दों में होते हैं। शब्द बोले जाते थे, सुने जाते थे। फिर लिपि बनी उनका रूप बना। उनकी छपाई का ज्ञान विकसित हुआ। शब्द संचय पुस्तक बने। भाव संवेदन, विषाद प्रसाद और हर्ष उल्लास की अभिव्यक्ति बने शब्द। शब्द ज्ञान विज्ञान के साथ अपनी देशज सभ्यता संस्कृति भी लाते हैं।

कैम्ब्रिज विश्व विद्यालय ने अंग्रेजी के शब्द मैनिफेस्ट को 'वर्ड ऑफ द ईयर' घोषित किया है। बताया गया है कि इस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 1 लाख 30 हजार बार खोजा गया। भारत में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुतायत से होता है। हिन्दी सिनेमा के संसार में 'साजन' और 'सावन' शब्दों का प्रयोग लाखों बार हुआ है। भोजपुरी में एक शब्द है 'करेजहू'। पिया शब्द भी पति या प्रेमी के लिए होता है। ऋग्वेद में सविता की स्तुति वाला गायत्री मंत्र है। लाखों बार पढ़ा गया है। अंग्रेजी का एक शब्द है फैंटसी। इसका मूल अर्थ है कई ध्वनियों का मिलना। यही जब सुन्दर का अनुभव देता है तब फैंटास्टिक। अर्थ बदलते हैं। इसका उदाहरण अथर्ववेद के भूमिसूक्त में है। वैदिक काल में विभिन्न उत्सवों के समय ग्राम मिलन होता था। भूमिसूक्त में इसके लिए संग्राम शब्द का प्रयोग होता था। अब संग्राम का अर्थ युद्ध हो गया है। कुछ शब्द लम्बी दूरी की यात्रा में थक जाते हैं।

विश्व शब्द आपूरित हैं। प्राचीन सभ्यताओं में शब्द भी प्राचीन होते हैं। दशो दिशाओं से गतिशील हैं शब्द। पूरब से आते शब्द पश्चिम से आते शब्दों से टकराते हैं, मिलते हैं। इसी तरह उत्तर दक्षिण सहित सभी दिशाओं से भी। भारतीय चिन्तन में आकाश का गुण शब्द कहा गया है। ऋग्वेद की अनुभूति में जीवन्त कविताएं परम व्योम में रहती हैं और जागृत चित्त में उतरने की कामना करती हैं। शब्द ध्वनि ऊर्जा हैं। पहले अरूप थे। सिर्फ बोले सुने जाते थे। वे संवेदन प्रकट करने का माध्यम थे। फिर हर्ष विषाद, क्रोध और बोध प्रकट करने का माध्यम बने। विश्व शब्द भंडार लगातार बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि यह संसार शब्दों का ही मेला है। तत्सम, तद्भव यहां मिलते हैं, छोटाई बड़ाई त्याग कर हरेक रूप के लिए शब्द। जितने रूप उतने शब्द। उससे भी ज्यादा शब्द।

शब्द ब्रह्म हैं। शब्दों से निर्मित वाक्यों से पुस्तकें बनती हैं। पुस्तकों को प्रणाम करना हमारी स्वाभाविकता है। यह प्रणाम प्रत्यक्ष रूप में शब्दों के प्रति है। अप्रत्यक्ष रूप में जीवन्त संवाद, रस प्रवाह के प्रति है और शब्द ब्रह्म के प्रति भी है। मेरा मन तार्किक है। संशयी भी है। पुस्तकें संशय और तर्क को और स्वस्थ करती हैं, बहुधा तर्क के परे भी ले जाती हैं।

कुछ शब्दों के कई अर्थ होते हैं। शब्द का गर्भ बड़ा न्यारा है। वह अपने भीतर अर्थ पालता है। शब्द का अर्थ जड़ नहीं होता। उसका मूल है भाव। इसलिए शब्द का भावार्थ भी होता है। शब्द अपने अन्तस् में भावार्थ लेकर चलता है। अर्थहीन शब्दों का कोई उपयोग नहीं। वे निरर्थक हैं। पुस्तकें बड़ा काम करती हैं। शब्द उनके मन प्राण है, भाव उनकी आत्मा है और ज्ञान उनकी बुद्धि। वे प्राणवान हैं। जीवमान हैं। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि, एक ही शब्द, प्रयोग के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ देता है। उन्होंने शब्द प्रयोग में सावधान रहने का निर्देश दिया है। भारतीय संस्कृति दर्शन में ओउम की महत्ता है। ओउम शब्द नहीं है। पतंजलि ने इसे अस्तित्व का नाम बताया है- तस्य वाचक प्रणव: कहा है। भिन्न भिन्न मतभिन्नता के बावजूद दर्शन में ओउम की महत्ता है। शब्द उगते हैं मनोभूमि पर। सुकुमार और काम्य कोमल पुष्प जैसे आकर्षक। मधुगंध उड़ेलते हैं और हृदय में पैठ जाते हैं। उन्होंने विचार धारण किया है। शब्द ब्रह्म कहे गये हैं। शब्द इस ब्रह्म को धारण करते हैं। ब्रह्म सदा रहता है, शब्द भी सदा रहते हैं। सृजन में ही मनुष्य का अमरत्व है। सतत् अध्ययन भी सृजन कर्म है। अध्ययन स्वयं के पुनर्सृजन की कार्रवाई है। शब्दों से बनी पुस्तकें हमारे पुनर्सृजन और पुनर्नवा गतिशीलता का उपकरण है। पढ़ना, सुनना, जानना, जाने हुए को बताना उपनिषद ऋषियों का आदेश है। नवसृजन के अवसर और इस अनुष्ठान का मंगल उपकरण हैं शब्द। मनुष्य शब्दों का उपयोग आजीवन करते हैं। यहाँ वस्तुओं से ज्यादा भावनाओं के लिए शब्द हैं। प्रेम भाव का शब्द प्रसार और प्रसाद अधिकाँश विश्व में है। मजेदार बात है कि भारत में क्रोध व्यक्त करने के लिए ठोस शब्द हैं। गाली भी शब्द सामर्थ्य के बिना असंभव। ज्यादातर गालियां बहिन बेटी व माता को चोट पहुंचाती हैं। यह उचित नहीं है। लड़ाई पुरुषों में और अपशब्द स्त्रियों के लिए कहना पाप है।

शब्द प्रयोग में सतर्कता जरूरी है। शब्द जीवमान, मार्गदर्शक, पालक व पोषक हैं। पुस्तक का पाठ पर्याप्त नहीं। शब्द रस प्रवाह में बहने और आनंदित होने के लिए पुनर्पाठ जरूरी है। विश्व की सभी सभ्यताओं में पुस्तकों के आदर की परंपरा है। वेद, उपनिषद, रामायण और गीता आदि का आदर पुराना है। शब्द सबके हैं। वे सार्वजनिक संपदा हैं। लेकिन अर्थ अपने-अपने। शब्द की सामर्थ्य बड़ी है। प्रयोगकर्ता की सामर्थ्य शब्द का अर्थ खोलती है। साहित्यकार अनुभूति का मधुरस जोड़ते हैं। नया संसार गढ़ते हैं।

आजकल

# युद्ध के विरुद्ध भारत की अपील

**युद्ध** का मैदान अंतिम तौर पर किसी ठोस समाधान की ओर नहीं ले जाता। इसका दूरगामी प्रभाव आसपास के देशों पर ही नहीं, पूरे विश्व पर पड़ता है। इतनी प्रगति का क्या फायदा, जब कोई देश युद्ध को लेकर अत्यधिक आक्रामक होकर दूसरे देशों के लोगों और यहां तक कि अपने नागरिकों का भी भविष्य रसातल में ले जाए। यह दुखद है कि दुनिया आज भी युद्ध के भयावह मंजर देख रही है। एक दूसरे पर महीनों से हमले कर रहे देशों को रोक पाने में संयुक्त राष्ट्र भी असहाय है। हैरत की बात है कि संवाद और कूटनीति के इस दौर में आज चंद देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध कर रहे हैं, बिना यह सोचे कि उनकी पीढ़ियां दशकों पीछे चली जाएंगी।

विश्व में लगातार बढ़ते संघर्ष के बीच भारत ने एक बार फिर शांति के प्रति अपना सरोकार जाहिर किया है। उसने याद दिलाया है कि युद्ध से कोई ठोस हल नहीं निकलता। रोम में 'एमईडी मेडिटेरेनियन संवाद' के दसवें संस्करण में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में द्वि-राष्ट्र का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया है कि सैन्य अभियानों में बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत को भारत अस्वीकार्य मानता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों की अवहेलना नहीं की जा सकती। इजराइल-फिलस्तीन संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध में हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं। भारी तबाही के दृश्यों ने पूरे विश्व को विचलित कर दिया है। पश्चिम एशिया लंबे समय से संघर्ष का दौर देख रहा है। इससे किसी पक्ष का पलड़ा भारी होता दिखा हो सकता है, लेकिन इससे जन-धन की भारी क्षति हुई। खासतौर पर कमजोर पड़ने वाले देश की वर्षों और दशकों के विकास की उपलब्धियां बर्बाद हो गईं।

ऐसे में युद्धविराम की आवश्यकता हर कोई महसूस कर रहा है। भारत ने इसकी पुरजोर हिमायत की है, क्योंकि संयम बरत कर और परस्पर संवाद को आगे बढ़ाते हुए ही युद्ध क्षेत्र से बाहर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। भारत ने संकेत दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयास के लिए सार्थक योगदान देने के लिए तैयार है। पश्चिम एशिया में तत्काल संघर्ष विराम कराने के लिए कुछ बड़े देशों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि शांति कायम होने से ही दुनिया आगे बढ़ेगी।

# मुकदमों के बोझ तले दबती भारतीय न्यायिक व्यवस्था

सोनम लववंशी

भारत की न्यायिक व्यवस्था में मुकदमों का लंबे समय तक चलना गंभीर समस्या है। वर्षों तक लंबित पड़े मामलों ने न्याय के वास्तविक अर्थ को धुंधला कर दिया है। न्याय में देरी अन्याय के समान ही होती है, लेकिन परिपाटी ऐसी बन गई है कि इंसाफ की उम्मीद में कई बार पीड़ित की पूरी जिंदगी निकल जाती है। फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। एक सभ्य समाज में न्यायिक व्यवस्था होना और उसका बेहतर तरीके से कार्यान्वित होना बेहद महत्त्वपूर्ण होता है। इसके बावजूद जब इंसाफ समय पर न मिले, तो अनगिनत सवाल खड़े होते हैं। पीड़ित और अभियुक्त दोनों ही इस धीमी प्रक्रिया से त्रस्त हो जाते हैं और न्याय केवल एक प्रतीक्षा बन कर रह जाता है। इसी बीच बीते दिनों अलीगढ़ से एक ऐसी खबर आई, जो न्याय की आस लगाए या न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा कर अपना समय, धन खर्च करने वालों को कहीं न कहीं एक संजीवनी देने का काम कर रही है। यह घटना हमें यह बताती है कि सब कुछ ठीक ढंग से किया जाए, तो समय पर न्याय मिल सकता है।

दरअसल, पिछले दिनों अलीगढ़ की पाक्सो अदालत ने उनतीस दिनों के भीतर एक मामले का निपटारा कर दिया। यह एक स्वागतयोग्य कदम है और यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया को द्रुतगति देने की दिशा में एक संदेशवाहक बन सकता है। अलीगढ़ में किशोरी के साथ हुए बलात्कार के दोषी को बीस वर्ष की कैद और पचास हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह घटना न केवल पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने का प्रमाण है, बल्कि उन तमाम मामलों के लिए भी एक नजीर है जो अनावश्यक देरी के कारण वर्षों तक लंबित रहते हैं।

यहां सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हर मामले को इसी तरह जल्द निपटाया जाए! क्या पुलिस और अभियोजन की तत्परता वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया को तेज कर सकती है या यह महज एक अपवाद है, जिसे सामान्य नहीं माना जाना चाहिए शायद यह मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि इसका फैसला भारतीय न्याय प्रणाली की नई व्यवस्था लागू होने के बाद पहली बार आया है। ऐसे में यह त्वरित न्याय का प्रतीक है या फिर इसे महज एक संयोग मान कर दरकिनार कर दिया जाए

सच तो यह है कि हमारे देश में पुलिस, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया के बीच सामंजस्य की कमी न्याय में देरी की मुख्य वजह रही है। जिस प्रकार अलीगढ़ के इस मामले में पुलिस ने साक्ष्यों को तुरंत एकत्रित किया, अभियोजन ने मामले को गंभीरता से पेश किया और अदालत ने तत्परता से मामले की सुनवाई की, वैसा सभी मामलों में नहीं हो पाता। सामान्यत: पुलिस जांच के लिए समय नहीं निकालती है, अभियोजन तर्कों को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाता और अदालतों के सामने मुकदमों का अंबार लग जाता है। ऐसे में जल्दी निपटारा असंभव हो जाता है। सवाल यह भी है कि क्या यह घटना वाकई मील का पत्थर है! क्या यह उदाहरण वास्तव में न्यायिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम है या फिर इसे सिर्फ एक अपवाद मान कर हम आगे बढ़ जाएंगे अगर कानूनी संस्थाएं इस उदाहरण से कुछ सीखने का प्रयास करें, तो शायद हम मुकदमों के बोझ को कम कर सकते हैं। 'नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड' की रपट के अनुसार, भारत में इस समय लगभग पांच करोड़ मामले अदालतों में लंबित हैं। इनमें से सत्तर फीसद से अधिक मामले निचली अदालतों में हैं, जबकि उच्च न्यायालयों में भी लाखों मामले लंबित हैं।

स्पष्ट है कि न्याय प्रणाली अपने ही बोझ तले दबी है। यह इस बात का भी सबूत है कि देश की कानून व्यवस्था अपने ही भार तले दबे जा रही है। क्या अदालतों में न्यायाधीशों की कमी इस समस्या की जड़ है यह तो साफ है कि जब तक न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा नहीं जाता, तब तक मामलों का निपटारा तेजी से नहीं हो पाएगा। लिहाजा पुलिस और अभियोजन को उतनी ही तेजी से काम करना होगा। वरना, जैसा कि अकसर होता है, साक्ष्य अधूरे रह जाते हैं, गवाह पलट जाते हैं और अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं।

भारत में इंसाफ में देरी के कई प्रमुख कारण हैं। आज भी अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। विधि आयोग की रपट के अनुसार, भारत में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर केवल इक्कीस न्यायाधीश हैं। जबकि अमेरिका में यह संख्या एक सौ सात और ब्रिटेन में पचास है। इस कमी के कारण अदालतों पर भारी बोझ पड़ता है और मामलों को निपटाने में सालों लग जाते हैं। यहां तक कि पुलिस और अभियोजन पक्ष की कार्यशैली भी बहुत लचर है। कई बार देखा गया है कि अपराध की जांच में देरी, साक्ष्य इकट्ठा करने में लापरवाही और गवाहों की सुरक्षा का अभाव आदि के कारण पीड़ित पक्ष को समय से न्याय नहीं मिल पाता हैं। कई मामलों में देखा गया है कि गवाहों को भी कभी लालच देकर या फिर डरा-धमका कर अपने बयानों से पलटने के लिए मजबूर कर दिया जाता हैं।

भारतीय न्यायालय में डिजिटलीकरण की गति बहुत ही धीमी है। जबकि त्वरित न्याय के लिए डिजिटलीकरण एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही ई-फाइलिंग, आनलाइन सुनवाई और मामलों के प्राथमिकता-आधारित निपटारे जैसे उपायों को भी अपनाया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा और 'मशीन लर्निंग' जैसी तकनीकों का उपयोग कर लंबित मामलों की पहचान और प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए।